क्रम सं०–260 (ख–12)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2019
पौष 5, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

संख्या 3089/अड़तीस-7–2019-296नरेगा-2013

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0–474

चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 42 सन् 2005) की धारा 32 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (विलम्बित मजदूरी संदाय हेतु प्रतिकर) नियमावली, 2019 के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये तथा आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या 2236/अड़तीस-7–2019-296नरेगा-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 जारी की गयी थी;

और, चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 32 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (विलम्बित मजदूरी संदाय हेतु प्रतिकर) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (विलम्बित मजदूरी संदाय हेतु प्रतिकर) नियमावली, 2019 कही जायेगी;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से है;

(ख) "एमआईएस" का तात्पर्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित और प्रबंधित ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली www.nrega.nic.in से है;

CamScanner

(ग) "कार्यक्रम अधिकारी" का तात्पर्य कार्यान्वयन अभिकरण के खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से है;

(घ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है ;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है ;

(च) "मजदूरी दर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन अकुशल श्रमिकों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित है।

प्रतिकर

3–(1) अन्य बातों के साथ–साथ धारा 3 में यह उपबन्ध है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसने योजना के अधीन दिया गया कार्य किया हो, को किसी भी स्थिति में मस्टर रोल बंद होने के पश्चात पन्द्रह दिन के भीतर साप्ताहिक आधार पर मजदूरी दर से मजदूरी प्राप्त करने का हक होगा। यदि पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को अनुसूची दो के प्रस्तर–29 के उप प्रस्तर(1) के अधीन विलम्बित संदाय के लिए प्रति विलम्बित दिन असंदत्त मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से प्रतिकर प्राप्त करने का हक होगा;

(2) अनुसूची–दो के प्रस्तर 29 के उप प्रस्तर(1) के खण्ड(क) के अधीन यह उपबन्ध है कि संदेय होने के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के परे प्रतिकर के संदाय में किसी प्रकार के विलम्ब होने पर विचार उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि मजदूरी संदाय के विलम्ब में किया जाता है;

(3) अधिनियम की अनुसूची–दो के प्रस्तर 29 के खण्ड (1) के उपखण्ड(घ) के अधीन यह उपबन्ध है कि "राज्य सरकार ऊपर यथा विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर सम्यक् सत्यापन के पश्चात यथा विहित प्रतिकर का संदाय करेगी और ऐसे कृत्यकारियों या अभिकरणों, जो संदाय में विलम्ब के लिए उत्तरदायी हों, से प्रतिकर धनराशि वसूल करेगी।"

प्रतिकर देयता और संदाय का निर्धारण

4–विलम्बित संदाय पर प्रतिकर भी देय दिनांक के पन्द्रह दिन के भीतर प्रदान किया जायेगा। प्रतिकर संदाय में विलम्ब का निस्तारण उसी प्रकार से किया जायेगा जैसा कि मजदूरी संदाय में विलम्ब पर किया जाता है। कार्यक्रम अधिकारी प्रतिकर देयता प्रारम्भ होने के पन्द्रह दिन के भीतर नरेगा साफ्ट द्वारा की गयी गणनाओं का युक्तियुक्त पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात प्रतिकर के संदाय/असंदाय पर विनिश्चय करेगा। वह दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता/सकती है। यदि दावा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो कार्यक्रम अधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के कारणों का विनिर्दिष्ट रूप में उल्लेख करना होगा, जिसकी उपधारणात्मक श्रेणी निम्नवत् होगी:–

(एक) प्राकृतिक आपदा;

(दो) प्रतिकर देय नहीं।

उत्तरदायित्व निर्धारण

5–विलम्बित मजदूरी संदाय के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0–आ–19(क) दिनांक 3 जनवरी, 2014 की अनुसूची–दो का प्रस्तर–29 प्रयोज्य होगा।

6–अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य निस्तारण की समय सीमा वही होगी जो नीचे अनुसूची में उल्लिखित है:–

अनुसूची–I

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विलम्बित संदाय की गणना हेतु प्रारम्भिक दिवस	कार्य के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम	कुल दिवसों की संख्या
1	(1) बंद होने के पश्चात विकास खण्ड कार्यालय में मस्टर रोल जमा करना	मस्टर रोल के बंद होने के दिनांक से	(1) ग्राम रोजगार सेवक जहां ग्राम पंचायत क्रियान्वयन अभिकरण हो (2) सचिव, ग्राम पंचायत, जहां ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत में नियुक्त न किया गया हो (3) अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों की स्थिति में कार्य प्रभारी	एक दिवस (T+1)
	(2) नरेगा सॉफ्ट पर मस्टर रोल की फीडिंग	विकास खण्ड कार्यालय में मस्टर रोल की प्राप्ति के दिनांक से	(1) विकास खण्ड कार्यालय में मस्टर रोल प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी (2) नरेगा साफ्ट पर फीड करने हेतु उत्तरदायी कम्प्यूटर आपरेटर	एक दिवस (T+2)

CamScanner

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विलम्बित संदाय की गणना हेतु प्रारम्भिक दिवस	कार्य के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम	कुल दिवसों की संख्या
2	(1) कार्य को मापने के पश्चात विकास खण्ड कार्यालय मे माप पुस्तिका (एमबी) जमा करना	नरेगा साफ्ट पर मस्टर रोल फीडिंग के दिनांक से	(1) तकनीकी सहायक या उसके लिए	दो दिवस (T+4)
	(2) नरेगा साफ्ट पर कार्य की माप को फीड करना	विकास खण्ड कार्यालय में एम0बी0 की प्राप्ति के दिनांक से	(1) अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (2) नरेगा साफ्ट पर फीडिंग के लिए उत्तरदायी कंप्यूटर ऑपरेटर	एक दिवस (T+5)
3	मजदूरी सूची जनित करना	एम0आई0एस0 पर एम0बी0 के फीडिंग के दिनांक से	(1) अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। (2) कम्प्यूटर ऑपरेटर	एक दिवस (T+6)
4	निधि अंतरण हेतु एंफ0टी0ओ0 जनित करना एवं हस्ताक्षरित किया जाना	मजदूरी सूची जनित किये जाने के दिनांक से	(1) लेखाकार/सहायक लेखाकार	एक दिवस (T+7)
5	द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निधि का अंतरण आदेश	प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के दिनांक से	(1) कार्यक्रम अधिकारी	एक दिवस (T+8)

टिप्पणी :-

1-उपर्युक्त अनुसूची मे उल्लिखित क्रियाकलापों को पूरा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व, क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी का होगा।

2-उपर्युक्त अनुसूची विकास खण्ड कार्यालय को उदाहरण मानते हुए तैयार की गयी है। क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के मामलों में यदि समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों के पद और नाम में भिन्नता होती है तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्व निर्धारण की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3-यदि उक्त क्रियाकलाप से सम्बन्धित कोई कर्मचारी/अधिकारी अवकाश पर जाता है और उसके स्थान पर उक्त कार्य को सम्पादित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप अभिनियोजित किया गया कर्मचारी/अधिकारी भी उस अवधि के विलम्ब के लिए उत्तरदायी होगा। क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

CamScanner

अनुसूची–II

क्र0 सं0	प्रक्रिया / गतिविधियां	अधिकतम समय (दिवस में)	टिप्पणी
1	• रात 11:59 बजे तक प्राप्त समस्त एफ0टी0ओ0 को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा राज्यवार बैच बनाते हुए सुबह 08:00 बजे तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना • एफ0टी0ओ0 बैंक को प्रेषित करना • बैच आई0डी0 प्राप्त होने के पश्चात् बैंक द्वारा पावती उपलब्ध कराना	T+9	पी0एफ0एम0एस0 एवं बैंक द्वारा
2	• ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रभाग अधिकारियों द्वारा धनराशि के अवमुक्त एवं स्वीकृति का आदेश निर्गत करना	T + 9 से T+ 11	एम0ओ0आर0डी0 द्वारा
	• ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति	T+9	
	• ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निधियों का अनुमोदन	T+10	
	• ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पी0ए0ओ0 (Pay & Account Officer) द्वारा धनराशि अवमुक्त करना	T+11	
3	धनराशि अवमुक्त होने के बाद पी0एफ0एम0एस0 द्वारा धनराशि निर्गत हेतु Accredited bank को बैच आई0डी0 प्रेषित करना	T+ 9 से T+ 11	पी0एफ0एम0एस0 द्वारा
4	Sponsor bank (State Nodal Bank) को Fund advice को फाइल प्रेषित करना	T+12	Accredited Bank द्वारा (एम0ओ0आर0डी0)
5	Presentation file को एन0पी0सी0आई0 पर अपलोड़ करना	T+12	Sponsor Bank द्वारा (राज्य नोडल बैंक)
6	एन0पी0सी0आई0 द्वारा भुगतान हेतु Fund file को लाभार्थी के बैंक / पोस्ट ऑफिस को प्रेषित करना	T+ 12 से T+ 13	एन0पी0सी0आई0 द्वारा
7	लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि का अन्तरण Destination bank/ Post Office द्वारा किया जायेगा	T + 13 से T+ 14	Destination Bank/Post Office
8	Response file का NREGASoft पर प्राप्त होना • Sponsor bank द्वारा Response File को पी0एफ0एम0एस0 को उपलब्ध कराना • पी0एफ0एम0एस0 द्वारा धनराशि के Credited/Rejected की Response File NREGASoft पर उपलब्ध कराना	T + 15 से T+ 16 T+15 T+16	Sponsor Bank द्वारा (राज्य नोडल बैंक) पी0एफ0एम0एस0 द्वारा

CamScanner

विशेष परिस्थितियां

7–उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित समय सीमा के आधार पर मजदूरी के संदाय में विलम्ब के लिए अधिकारी या कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते समय कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा निम्न परिस्थितियों का संज्ञान लिया जायेगा –

(एक) दैवीय आपदा अथवा ऐसी परिस्थिति, जो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नियन्त्रण के परे हो, के दौरान ऐसी अवधि को शून्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।

(दो) शासकीय अवकाश दिवसों को शून्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।

(तीन) कानून व्यवस्था की विपरीत या आपात परिस्थिति की अवधि को शून्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।

(चार) भारत सरकार की वेबसाईट में तकनीकी व्यवधान के दौरान की अवधि को शून्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।

(पांच) इन्टरनेट प्रणाली के ब्रेकडाउन होने की अवधि को शून्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।

वित्तीय प्रबन्धन

8–(1) विलम्बित संदाय के सापेक्ष प्रतिकर का संदाय, राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर सम्बन्धी बैंक खाता से किया जायेगा। यह संदाय मजदूरी की भांति, निधि अंतरण आदेश के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर सम्बन्धी बैंक खाते को नरेगा सॉफ्ट से जोड़ा जायेगा।

(2) राज्य रोजगार गारण्टी निधि के राज्यांश से अग्रिम धनराशि राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर संबंधी बैंक खाते में प्रदान की जायेगी। इस खाते का संचालन राज्य रोजगार गारण्टी निधि के खाते की भांति किया जायेगा।

(3) इस खाते से होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, विलम्ब के लिए उत्तरदायी ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/मानदेय से वसूल की गयी धनराशि से की जायेगी, जिनके द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कार्य पूरा न किये जाने के कारण उक्त प्रतिकर देय हुआ है। अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिकर की वसूली, उनके उत्तरदायित्व के अनुपात में की जायेगी।

(4) इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि, राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर संबंधी बैंक खाते में जमा की जायेगी। जिले प्रत्येक माह अपने उक्त खातों में जमा की गयी धनराशि की सूचना, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।

अपील

9–(1) जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट श्रमिकों के लिए समय से मजदूरी संदाय किये जाने और विलम्ब की स्थिति में समय से प्रतिकर का संदाय किये जाने के संबंध में नियमित अनुश्रवण करेगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट समस्त क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के प्रतिकर देयता, उत्तरदायित्व निर्धारण इत्यादि से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण करेगा। इसके लिए उपायुक्त (श्रम रोजगार) मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से आख्या जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

537 RPH (Gram Vikas-7) 2019 Data 4E

CamScanner